



न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (कैंप, भोपाल)

RS 99-88717

निगरानी क्र. /2017

1. लीलाकिशन आत्मज श्री चम्पालाल चौकसे
2. श्रीमती मोतनबाई बेवा श्री चम्पालाल चौकसे

प्रत्यक्ष निवेदन द्वारा देनों निवासी-गणेश चौक, मण्डीदीप

8.2.17

तहसील गौहरगंज जिला-रायसेन (म.प्र.)

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

श्रीमती कुसुम चौकसे पत्नी श्री रामकिशन चौकसे

निवासी-चौकसे किरानास्टोर, काजी कैंप, बैरसिया रोड,
भोपाल.

2. इन्द्राबाई पत्नी श्री बालमुकुन्द चौकसे,
निवासी-वार्ड नं.5, गणेश चौक, मण्डीदीप रायसेन।
3. श्रीमती शिवकुमारी पत्नी श्री रामदयाल चौकसे,
निवासी-सेमरा रोड ग्राम सैवदाकलां हुजूर भोपाल
4. श्रीमती नीलमणि राय पत्नी श्री जंगदीश राय
मकान नं.310, शंकर मंदिर के पास,
नारायणनगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
5. श्रीमती सुसकुनतला पत्नी श्री मांगीलाल राय
निवासी-मुकाम पोस्ट उदयपुर तहसील गंजबासौदा
जिला विदिशा (म.प्र.)
6. राजेन्द्र कुमार आत्मज स्व.श्री चम्पालाल चौकसे
निवासी-गणेश चौक मण्डीदीप
तहसील गौहरगंज जिला-रायसेन (म.प्र.)

.....उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता 1969

महोदय,

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन के द्वारा प्रकरण
क्रमांक 07/अपील/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31.01.2017
से दुखी एवं परिवेदित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष समय
सीमा में ठोस तथ्यों एवं वैधानिक बिन्दुओं पर सादर प्रस्तुत है :-

निरन्तर...2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 599-पीबीआर/2017

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-02-2017	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चौहान उपस्थित। उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-1-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में आवेदक द्वारा संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र को अमान्य किया गया है, जिसके विरुद्ध संहिता में प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील आयुक्त न्यायालय के समक्ष की जाना चाहिये। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>